



2026:AHC:163089

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26201 वर्ष 2026

दीपक

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार मौर्य

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार मौर्य और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 66 सन् 2026, धारा 103(1), 61(2)(ए) और 326(जी) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन गडवार, जिला बलिया में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि, आरोप के अनुसार आवेदक ने अपनी मां के साथ मिलकर घर में आग लगाकर अपनी साली और उसके बेटे की हत्या कर दी और इस घटना में उसका भाई नीरज भी घायल हो गया, लेकिन आवेदक के खिलाफ सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख में आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि आवेदक ने कथित तौर पर आग लगाई थी।
5. उन्होंने आगे कहा कि न तो घायल नीरज के बयान से और न ही साक्षियों के बयान से यह पता चलता है कि उन्होंने आवेदक या किसी अभियुक्त को आग लगाते हुए देखा था।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में यह आकस्मिक आग का मामला है और आग लगने के कारण मृतक को चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई तथा इस घटना में नीरज को भी जलने की चोटें आईं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उन्होंने आगे कहा कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बावजूद सह-अभियुक्त कांति देवी को इस न्यायालय ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23100 वर्ष 2026 में दिनांक 22.7.2026 को पारित आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया है।
8. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 17.3.2026 से यानी पिछले चार महीनों से अधिक समय से जेल में है।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और इस घटना में आवेदक के छोटे भाई को भी जलने की चोटें आई हैं, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि अभिलेख में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक और अन्य अभियुक्त ही आग लगाने वाले थे। वे इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सके कि आवेदक की माता को एक विस्तृत और तर्कसंगत आदेश के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उनके मामले के समान ही है।
10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
11. हालांकि, यह दोहरी हत्या का मामला है और कथित घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, लेकिन गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने वास्तविक घटना देखी थी। मामले के तथ्यों को देखते हुए, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता कि यह आकस्मिक आग का मामला प्रतीत होता है।
12. इसके अलावा, सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद, आवेदक की माता, कांति देवी, जिनका नाम एफ.आई.आर. में भी था, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उनके मामले के समान है।
13. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह मार्च 2026 से जेल में है, यानी पिछले चार महीनों से अधिक समय से।
14. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
15. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
16. आवेदक-दीपक को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करे और निम्नलिखित शर्तों का पालन करें :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

5 अगस्त, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।